सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 10.02.2025

इटावा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करके 1 करोड़ 08 लाख रुपये की ठगी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में **थाना वैदपुरा पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी राजकुमार पुत्र बालादीन निवासी विचपुरी थाना वैदपुरा जनपद इटावा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी ने अपनी 04 बीघा जमीन, मकान व 04 दुकाने अपने किरायेदार सत्यपाल पुत्र जैसीराम की राय से **1,08,00,000/- रुपये** मे बेच दी थी। चुंकि वादी पढ़ा लिखा नही है केवल हस्ताक्षर ही कर पाता है, किरायेदार सत्यपाल ने दिनांक 09.11.2015 को HDFC बैंक शाखा वैदपुरा मे उसका खाता खुलवाया तथा धोखे से खाते मे अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराकर चैकबुक एवं पासबुक अपने पास रख ली। वादी ने जमीन विक्रय के 41,00,000/- रुपये अपने खाते मे जमा किये। शेष रुपये विपक्षी सत्यपाल सिंह द्वारा ही नकद ले लिए । उसके उपरान्त सत्यपाल द्वारा षडयंत्र के तहत कुटरचित रचना करके चैक, एटीएम एवं मोबाइल से मेरे खाते से मेरा सारा रुपये निकाल लिये ।जिसके संबंध मे थाना वैदपुरा पर **मु0अ0सं0 05/24 धारा 420/467/468/471/506 भादवि** पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन मे उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आये कि सत्यपाल सिंह उपरोक्त द्वारा वादी मुकदमा को झाँसे मे लेकर पिता पुत्र का नाता बनाकर वादी से उसकी 04 बीघा जमीन व 04 दुकाने व 01 घर को विक्री कर **करीब 01 करोड 08 लाख रुपये** जिसमे से **27 लाख वादी के अकाउण्ट से सीधे अपने अकाउण्ट मे ट्रांसफर** कराये तथा **करीब 13 लाख रुपये ATM व ऑनलाइन ट्राजैकंशन के माध्यम से** तथा करीब 68 लाख रुपये नगद (दूसरी जगह पर जमीन दिलाने के एवज मे) हडप लिये ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन मे आज दिनांक 10.02.2025 को थाना वैदपुरा पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त **सत्यपाल पुत्र जैसीराम को छिमारा तिराहे से समय 01.35 बजे गिरफ्तार** किया गया।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि उसने राजकुमार पुत्र स्व0 बालादीन की दुकान किराये पर लेकर खाद- बीज विक्रय का कार्य किया था। मेरे ऊपर काफी कर्जा हो गया था जिसके चलते मैने वादी राजकुमार को भरोसे मे लेकर उसकी जमीन व मकान व दुकानो को बिक्री कर दूसरी जगह अच्छी जमीन देने का झाँसा देकर विक्रय कराया था। चुंकि वह पढा लिखा नही था जिस कारण मैने उसे झाँसे मे लेकर उसकी चैक बुक अपने पास रख उसमे फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक से रुपये प्राप्त कर लिए तथा कुछ रुपया मैने वादी राजकुमार के नाम पर नगद ले लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सत्यपाल पुत्र जैसीराम निवासी नगला खंदारी थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद **उम्र करीब 45 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 05/24 धारा 420/467/468/471/506 भादवि थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- श्री विपिन कुमार थानाध्यक्ष थाना वैदपुरा इटावा, उ0नि0 श्री सुबोध कुमार सहाय, का0 उमेश कटारा, का0 विपिन कुमार, का0 अनुज कुमार।

नोटः- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 5,000/- रुपये से पुरुस्कृत किया गया।